GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1077
(TO BE ANSWERED ON 15.12.2022)

RETIRED OFFICERS WITH MINISTRIES/AUTONOMOUS BODIES

1077 SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether retired Civil Service administrative officers are working with various Ministries or Autonomous bodies in key decision making roles;
(b) if so, the details of the personnel, roles and Ministries;
(c) the reason for the extension of their tenure; and
(d) by when these roles/positions will be offered to the experienced, deserved, and non-retired Civil Service administrative officers?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Keeping in view the exigencies of work, Ministries/Departments may hire professionals or consultants for a specific job, not against a regular post. Some retired senior Civil servants having expertise and eminence are also appointed as Consultants/Advisors with a view to achieve certain specified public policy objectives.

As the respective Ministries/ Departments are authorised to engage consultants, no centralised data is maintained.

As the Consultants/Advisors are not to be engaged against regular posts, it is not likely to affect the morale of non-retired Civil Service administrative officers. Moreover, they bring expertise with them which only improves the overall efficiency of the Government.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1077

(दिनांक 15.12.2022 को उत्तर के लिए)

मंत्रालयों/स्वायत्त निकायों में काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारी

1077. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेवानिवृत्त सिविल सेवा प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों या स्वायत्त निकायों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्मिकों, उनकी भूमिकाओं और मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन भूमिकाओं/पदों को अनुभवी, योग्य और कार्यरत सिविल सेवा प्रशासनिक अधिकारियों को कब तक सौपा जाएगा?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): कार्य की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय/विभाग किसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यावसायिकों या परामर्शदाताओं को काम पर रख सकते हैं, किंतु यह तैनाती किसी नियमित पद पर नहीं होती है। लोक नीति के कुछ विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता एवं ख्याति प्राप्त कुछ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवकों को भी परामर्शदाताओं/सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

चूंकि परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग प्राधिकृत होते हैं, अतः कोई केन्द्रीकृत डाटा नहीं रखा जाता है।

चूंकि परामर्शदाताओं/सलाहकारों को नियमित पदों पर तैनात नहीं किया जाता है, अतः इससे कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे अपने साथ विशेषज्ञता लेकर आते हैं जो सरकार की समग्र कार्यकुशलता में वृद्धि ही करती है।

****

https://www.staffnews.in